R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

खण्ड XI ◆ अंक 9
मार्च 2015

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

मौद्रिक नीति वक्तव्य

रिज़र्व बैंक ने 4 मार्च 2015 को गवर्नर डॉ. रघुराम जी. राजन द्वारा घोषित अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य में निर्णय लिया है कि :

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रिपो दर में तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंकों की कटौती कर उसे 7.75 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत कर दिया जाए;
- अनुसूचित बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को निवल मांग और मीयादी देयताओं के 4.0 प्रतिशत पर बरकरार रखा जाए;
- नीलामियों के माध्यम से एलएएफ रिपो दर पर बैंक-वार एनडीटीएल के 0.25 प्रतिशत पर ओवरनाइट रिपो तथा बैंकिंग प्रणाली के एनडीटीएल के 0.75 प्रतिशत तक 7-दिवसीय और 14-दिवसीय मीयादी रिपो के अंतर्गत चलनिधि उपलब्ध कराना जारी रखा जाए; तथा
- चलनिधि की निर्बाध उपलब्धता के लिए दैनिक परिवर्तनीय दर रिपो और प्रतिवर्ती रिपो को जारी रखा जाए।

परिणामस्वरूप, एलएएफ के अंतर्गत प्रतिवर्ती रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 6.5 प्रतिशत पर समायोजित किया गया है तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर को तत्काल प्रभाव से 8.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

नीति के समीक्षा-चक्र के बाहर कार्रवाई करने के पीछे दो कारण हैं : पहला, चूंकि अगला द्विमासिक नीति वक्तव्य 7 अप्रैल 2015 को जारी किया जाएगा, अतः अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों की कमज़ोर स्थिति के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर शिथिलता की प्रवृत्ति को देखते हुए यह महसूस किया गया कि कोई भी नीतिगत कार्रवाई नीतिगत रुख के लिए पर्याप्त रूप से समर्थन देने वाले आंकड़े प्राप्त होने पर प्रत्याशामूलक हो। दूसरा, मौद्रिक नीति के ढांचे के संबंध में करार हो जाने के कारण रिज़र्व बैंक के लिए यह उचित होगा कि वह अपने अधिदेशों को लागू करने के लिए किस प्रकार मार्गदर्शन करने वाला है।

जैसाकि करार में उपबंध किया गया है, रिज़र्व बैंक मुद्रास्फीति दर को 4 +/- 2 प्रतिशत के बैंड के मध्य बिंदु पर लाने के लिए प्रयास करेगा, अर्थात वित्तीय वर्ष 2016-17 से शुरू होने वाली दो वर्ष की अवधि के अंत तक उसे 4 प्रतिशत तक लाना।

दिसंबर 2014 के पांचवें द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में उल्लिखित मार्गदर्शन में मोटे तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। आगे उठाए जाने वाले मौद्रिक कदम प्राप्त आंकड़ों, विशेष रूप से आपूर्ति संबंधी अड़चनों को हटाने, बिजली, भूमि, खनिजों और बुनियादी संरचना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित सूचना की बेहतर उपलब्धता, उच्च कोटि के राजकोषीय समेकन की दिशा में प्रगति, दर में कटौती का लाभ उधार दरों में कटौती कर पहुंचाने, मानसून की मात्रा तथा अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति में होने वाली घटनाओं आदि पर निर्भर करेंगे।

बैंकिंग विनियमन

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अल्प आय वर्गों के उधारकर्ताओं के लिए आवास ऋण

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) तथा अल्प आय वर्गों (एलआईजी) के उधारकर्ताओं के लिए किफायती आवासों की उपलब्धता को बढ़ावा दिए जाने को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 5 मार्च 2015 को अनुदेश जारी किए हैं कि ऐसे मामलों में जहां आवास/ रिहायशी इकाई की लागत ₹10 लाख से अधिक नहीं है, वहां बैंक मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) अनुपात की गणना के प्रयोजन के लिए आवास/रिहायशी इकाई की लागत में स्टैम्प ड्यूटी, पंजीकरण और अन्य प्रलेखीकरण प्रभारों को शामिल कर सकते हैं।

समीक्षा के उपरांत बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे सरकारी/सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के मामले में ऋण का संवितरण ऐसे प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित भुगतान चरणों के अनुसार कर सकते हैं, ऐसे मामलों में भी जहां आवास के क्रेताओं से मांगा गया भुगतान निर्माण के चरणों से जुड़ा हुआ न हो, बशर्ते ऐसे प्राधिकरणों की कोई परियोजना विगत में अधूरी रह जाने का कोई इतिहास न हो। पहले, बैंक व्यक्तिगत तौर पर मंजूर किए गए आवास ऋणों को आवासीय परियोजनाओं/ आवास के निर्माण के चरणों के साथ जोड़कर संवितरित कर सकते थे तथा अपूर्ण/निर्माणाधीन/हरित क्षेत्र आवासीय परियोजनाओं के मामलों में शुरूमें ही ऋण का संवितरण नहीं कर सकते थे (परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं. 74/ 08.12.015/ 2014-15, दिनांक 5 मार्च 2015)।

विषय सूची

	पृष्ठ
मौद्रिक नीति वक्तव्य	1
बैंकिंग विनियमन	
• आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अल्प आय वर्गों के उधारकर्ताओं के लिए आवास ऋण	1
• केवाईसी दिशानिर्देश - मालिकाना फर्मों के खाते	2
• वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर दिशानिर्देश	2
• प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को आस्तियों की बिक्री	2
भुगतान प्रणाली	
• भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कार्ड भुगतानों के लिए प्रारूप परिपत्र पर टिप्पणियों की मांग	2
बैंकिंग पर्यवेक्षण	
• बैंकों में अनुपालन कार्य	3
वित्तीय समावेशन	
• प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिया जाने वाला ऋण	3
गैर-बैंकिंग विनियमन	
• पीएमएलए के अनुपालन हेतु पदाभिहित निदेशक	3
• शेयरधारिता में परिवर्तन का पूर्वानुमोदन	3
सरकारी और बैंक लेखा	
• सुकन्या समृद्धि खाता	3
• पेंशन की अधिभुगतान राशि का वापस किया जाना	4
विदेशी मुद्रा प्रबंध	
• अचल संपत्ति के अर्जन/अंतरण पर रोक	4
• ईसीबी नीति - सर्वसमावेशी लागत की उच्चतम सीमा	4
• भारत में आयात के लिए व्यापारिक उधार - समीक्षा	4
• अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां - स्टैट 5 और स्टैट 8 विवरणियों का बंद किया जाना	4
रिपोर्ट	
• प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों के मौजूदा दिशानिर्देशों पर विचार-विमर्श	4

केवाईसी दिशानिर्देश - मालिकाना फर्मों के खाते

मालिकाना फर्मों के बैंक खाते खोलने की प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए रिज़र्व बैंक ने 13 मार्च 2015 को बैंकों को सूचित किया कि बैंक कुछ मामलों में एक़ल मालिकाना फर्म के खाते खोलते समय गतिविधि के सबूत के रूप में दो दस्तावेजों में से केवल एक दस्तावेज स्वीकार करने का विवेकाधिकार रख सकते हैं जहां बैंक संतुष्ट हो जाएं कि गतिविधि के सबूत के रूप में निर्धारित दोनों दस्तावेज प्रस्तुत करना संभव नहीं है। तथापि, ऐसे मामलों में बैंकों को संपर्क-स्थल का सत्यापन करना होगा, ऐसे फर्म के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए ऐसी सूचना प्राप्त करनी होगी, उसकी पुष्टि करनी होगी, स्पष्ट करना होगा और अपने आपको आश्वस्त करना होगा कि कारोबारी कार्यकलाप मालिकाना फर्म के पते से सत्यापित कर लिया गया है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पंजीकरण प्राधिकरणों की सूची दृष्टांत स्वरूप की है और इसमें संविधि के अंतर्गत निगमित किसी व्यावसायिक निकाय द्वारा मालिकाना फर्म के नाम पर जारी मालिकाना फर्म की गतिविधि को सिद्ध करने के एक दस्तावेज के रूप में कारोबारी लाइसेंस/प्रमाण-पत्र शामिल है। (डीबीआर.एएमएल.बीसी. सं.77/14.01.001/2014-15, दिनांक 13 मार्च 2015)

वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर दिशानिर्देश

रिज़र्व बैंक ने 11 मार्च 2015 को बैंकों को सूचित किया है कि वे जोखिमों को व्यवस्थित करने संबंधी दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें जैसा कि वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर लागू है। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाने की आवश्यकता है कि सेवाप्रदाता सेवा प्रदान करने में उन्हीं उच्च मानकों का उपयोग करेंगे जो बैंकों द्वारा शुरू किए गए हैं यदि कार्यकलाप बैंकों के अंदर शुरू किए गए और आउटसोर्स नहीं किए गए हैं। इसके अतिरिक्त बैंकों को ऐसी आउटसोर्सिंग नहीं करनी चाहिए जिसका परिणाम उनके आंतरिक नियंत्रण, कारोबार के संचालन में हो या जिससे प्रतिष्ठा से समझौता करना पड़े या वह कमजोर हो जाए। बैंक द्वारा किसी भी कार्यकलाप की आउटसोर्सिंग से बैंक और इसके बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंध तंत्र के उत्तरदायित्व में कमी नहीं आए जिसकी आउटसोर्स किए गए कार्यकलाप के लिए अंतिम जिम्मेदारी है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंकों द्वारा जोखिमों को व्यवस्थित करने और वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में आचार संहिता पर दिशानिर्देश उप-संविदा के कार्यकलापों पर भी लागू हैं। अपनी सहमति देने से पहले बैंक उप-संविदा व्यवस्था की समीक्षा कर लें और यह सुनिश्चित करें कि ये व्यवस्था आउटसोर्सिंग पर मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुपालन में हो। बैंक यह सुनिश्चित करें कि बैंक और सेवाप्रदाता (और/या इसे उप-संविदाकार) के बीच लेनदेन जैसे नकदी प्रबंध की आउटसोर्सिंग का मिलान समयबद्ध तरीके में हो। आउटसोर्स्ड वेंडरों के साथ मिलान के लिए लंबित प्रविष्टियों के लंबे समय के विश्लेषण को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और बैंक शीघ्रातिशीघ्र पुरानी आउटसोर्सिंग मदों को कम करने के लिए प्रयास करें। सभी आउटसोर्स किए गए कार्यकलापों की आंतरिक लेखापरीक्षा की एक मजबूत प्रणाली भी शुरू की जाए और इसकी निगरानी बैंक के एसीबी द्वारा की जाए। (डीबीआर.सं.बीपी.बीसी. 76/21.04.158/2014-15, दिनांक 11 मार्च 2015)

प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को आस्तियों की बिक्री

रिज़र्व बैंक ने 11 मार्च 2015 को बैंकों को अनुमति दी है कि वे 26 फरवरी 2014 से पहले प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों को बिक्री की गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) पर अतिरिक्त प्रावधान (जब प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बिक्री की जाने वाली वित्तीय आस्तियों का मूल्य निवल बही मूल्य या एनबीवी से अधिक हो) को अपने लाभ-हानि खाते में प्रत्यावर्तित करें। बैंक अनर्जक आस्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त प्रावधान को केवल तभी प्रत्यावर्तित कर सकते हैं जब प्रतिभूति प्राप्तियों/पास थ्रू प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक प्रतिफल और/या मोचन से प्राप्त नकदी प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बिक्री की गई अनर्जक आस्तियों के निवल बही मूल्य से अधिक हो। इसके अतिरिक्त, लाभ-हानि लेखे में प्रत्यावर्तित अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा उस सीमा तक सीमित रहेगी जिस सीमा तक प्राप्त की गई नकदी बिक्री की गई अनर्जक आस्तियों के निवल बही मूल्य से अधिक हो। अनर्जक आस्तियों की बिक्री करने पर लाभ-हानि लेखे में प्रत्यावर्तित किए गए अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा को बैंक के वित्तीय विवरण में 'लेखा टिप्पणियां' के अंतर्गत प्रकट किया जाएगा।(डीबीआर.सं. बीपी. बीसी.75/21.04.048/2014-15, दिनांक 11 मार्च 2015)

भुगतान प्रणाली

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कार्ड भुगतानों के लिए प्रारूप परिपत्र पर टिप्पणियों की मांग

रिज़र्व बैंक ने 13 मार्च 2015 को अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर प्रतिसूचना के लिए ''कार्ड भुगतानों के लिए प्रारूप परिपत्र - कम मूल्य के कार्ड प्रस्तुत कर किए जाने वाले लेनदेनों के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त घटक की आवश्यकता को हटाना'' जारी किया है। प्रारूप परिपत्र के अनुसार रिज़र्व बैंक नीयर फील्ड कम्यूनिकेशन (एनएफसी) का उपयोग कर कार्ड प्रस्तुत करके किए जाने वाले कम मूल्य के लेनदेनों के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त घटक (एएफए) की आवश्यकता से संबंधित मौजूदा अनुदेशों में रियायत देने पर विचार कर रहा है। इस संबंध में सूचित किया जाता है कि -

- प्रति लेनदेन अधिकतम ₹2,000/- के लेनदेनों के लिए एएफए आवश्यकता में रियायत की अनुमति है; बैंक प्रति लेनदेन सीमाओं को कम निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।
- कांटेक्टलेस कार्ड आवश्यक रूप से ईएमवी मानकों का पालन करें, बैंकों द्वारा उचित संवेग जांच (दैनिक, मासिक आदि) शुरू की जाएं जिन पर ग्राहक सहमत हो।
- ₹2,000/- की शुरुआती सीमा से अधिक मूल्य के लेनदेन के लिए पिन (एएफए) आवश्यक होगा।

इसके अतिरिक्त, ग्राहक संरक्षण के लिए बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे:

- कांटेक्टलेस/एनएफसी कार्ड जारी करते समय ग्राहकों को इसकी प्रौद्योगिकी, उपयोग, जोखिमों और देयता के बार में स्पष्ट रूप से बताएं।
- ऐसे कार्ड जारी करते समय ऐसे कार्डों के गुम होने की स्थिति में बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए बहु-चैनलों के माध्यम से तत्काल रिपोर्ट करने के बारे में ग्राहक की जिम्मेदारी के साथ ग्राहक पर अधिकतम देयता, यदि कोई हो, के बारे में स्पष्ट रूप से बताएं।
- बहु-चैनलों (वेबसाइट, फोन बैंकिंग, एसएमएस, आईवीआर आदि) के माध्यम से एक्सेस किए जा सकने वाले गुम हुए/चुराए गए कार्डों की निर्बाध रिपोर्टिंग के लिए मजबूत प्रणाली शुरू करें।

तथापि, यह नोट किया जाए कि उपर्युक्त छूट निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी :

i. लेनदेन मूल्य के भेदभाव के बिना एटीएम लेनदेन।

ii. कार्ड प्रस्तुत नहीं करके किए जान वाले लेनदेन (सीएनपी)।

रिज़र्व बैंक ने प्रारूप परिपत्र पर प्रतिसूचना हेतु टिप्पणियां मांगी हैं। टिप्पणियां afa@rbi.org.in पर ईमेल या डाक के माध्यम से मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 14वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 को 4 अप्रैल या इससे पहले भेजी जा सकती हैं।

पृष्ठभूमि

भारतीय रिज़र्व बैंक को ग्राहकों और विशिष्ट खंडों की संस्थाओं से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि नवोन्मेष भुगतान उत्पादों / प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया जाए तथा अधिप्रमाणन संबंधी अतिरिक्त घटक (एएफए) की आवश्यकता रखे बिना उपयोग के कतिपय मामलों / लेनदेनों के प्रकार में सुविधा तत्व को बढ़ाया जाए। कार्ड लेनदेनों में सुरक्षा और सुविधा के बीच दुविधा और नई प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के प्रकाश में ग्राहक हित की रक्षा करने के लिए उचित बचावों के साथ मौजूदा अनुदेशों में रियायत की आवश्यकता के नजरिए से अनुरोधों की जांच की गई है। ऐसी एक प्रौद्योगिकी नीयर फील्ड कम्यूनिकेशन (एनएफसी) है जिसका उपयोग संपर्क रहित (कांटेक्टलेस) कार्डों में किया जाता है। कांटेक्टलेस कार्ड चिप कार्ड हैं जो सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध कराते हैं।

बैंकिंग पर्यवेक्षण

बैंकों में अनुपालन कार्य

रिज़र्व बैंक ने बैंकों में अनुपालन कार्य संबंधी एक परिपत्र अपनी वेबसाइट (https://rbi.org.in) पर 4 मार्च 2015 को जारी किया। पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं में अनुपालन समीक्षा पर बढ़े हुए ध्यानकेंद्रण की दृष्टि से सभी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अनुपालन परीक्षण और समीक्षा संरचनाओं से परिपूर्ण व्यापक अनुपालन योजना लागू करें। (डीबीएस.सीओ. पीपीडी.10946/11.01.005/2014-15, दिनांक 4 मार्च 2015)

वित्तीय समावेशन

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिया जाने वाला ऋण

रिज़र्व बैंक ने 13 मार्च 2015 को यह निर्णय लिया कि निःशक्त व्यक्तियों को दिए जाने वाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण परिपत्र की तारीख से कमज़ोर तबकों को दिए गए ऋण के रूप में वर्गीकृत करने हेतु पात्र होंगे। (एफआईडीडी.सीओ.प्लैन.बीसी.51/ 04.09.01/2014-15, दिनांक 13 मार्च 2015)

रिज़र्व बैंक ने 25 फरवरी 2015 को यह निर्णय लिया कि बैंकों द्वारा प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) खातों में दिए गए ₹5,000/- तक के ओवरड्राफ्ट प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के ऋणों के साथ ही कमज़ोर तबकों को दिए गए ऋणों के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने हेतु पात्र होंगे बशर्ते उधारकर्ता के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण इलाकों के लिए ₹60,000/- से अधिक न हो और ग्रामीण से इतर इलाकों के लिए ₹1,20,000/- से अधिक न हो । (एफआईडीडी.सीओ.प्लैन.बीसी 50/04.09.01/2014-15, दिनांक 25 फरवरी 2015)

गैर-बैंकिंग विनियमन

पीएमएलए के अनुपालन हेतु पदाभिहित निदेशक

रिज़र्व बैंक ने 16 मार्च 2015 को सूचित किया कि धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2012 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दायित्वों को निभाने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) किसी ऐसे व्यक्ति को ''पदाभिहित निदेशक'' के रूप में पदाभिहित कर सकती हैं जो उच्च प्रबंध तंत्र या समकक्ष पद पर आसीन हो। तथापि, किसी भी मामले में प्रधान अधिकारी को ''पदाभिहित निदेशक'' के रूप में नामित न किया जाए। पूर्व में एनबीएफसी अपने बोर्ड में केवल एक निदेशक को ''पदाभिहित निदेशक'' के रूप में नामित कर सकती थी। (डीएनबीआर. पीडी. सीसी. सं.022/03.10.042/2014-15, दिनांक 16 मार्च 2015)

शेयरधारिता में परिवर्तन का पूर्वानुमोदन

प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी (एससी / आरसी) के कार्यसंचालन को सुचारुबनाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने 24 फरवरी 2015 को यह निर्णय लिया कि एससी/आरसी के शेयरधारिता ढांचे में निम्नलिखित परविर्तनों के लिए ही रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन ज़रूरी होगा :

i. शेयरों के किसी अंतरण के कारण अंतरिती प्रायोजक बन जाता हो।

ii. शेयरों के किसी अंतरण के कारण अंतरिती प्रायोजक न रह जाता हो।

iii. पंजीकरण प्रमाण-पत्र की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि के दौरान किसी प्रायोजक द्वारा एससी/आरसी की कुल चुकता शेयर पूंजी के दस प्रतिशत या उससे अधिक का सकल अंतरण किया गया हो।

प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी (एससी / आरसी) को अपने प्रबंधन में बड़े पैमाने पर परिवर्तन किए जाने हेतु वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी), 2002 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना ज़रूरी है। इस खंड के प्रयोजन से ''प्रबंधन में महत्वपूर्ण परिवर्तन'' से तात्पर्य है कंपनी के शेयरों के अंतरण या कंपनी के कारोबार के अंतरण के माध्यम से प्रबंधन में परिवर्तन करना। अतः प्रतिभूतिकरण कंपनियों / पुनर्निर्माण कंपनियों को पंजीकरण प्रमाण-पत्र देते समय विनिर्दिष्ट किए जाने वाले निबंधन व शर्तों में एक यह शर्त शामिल की जाती है कि प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी को अपने शेयरधारिता ढांचे में परिवर्तन करने से पहले रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा (डीएनबीआर (पीडी) सीसी. सं. 01/एससीआरसी/26.03.001/2014-15, दिनांक 24 फरवरी 2015)

सरकारी और बैंक लेखा

सुकन्या समृद्धि खाता

रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों को सूचित किया है कि वे लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), 1968 योजना का परिचालन करने वाली शाखाओं को सूचित करें कि 02 दिसंबर 2014 से सुकन्या समृद्धि खाता नियमावली, 2014 लागू हो गई है। सुकन्या समृद्धि खातों के लेनदेनों, जैसे धनराशि की प्राप्ति, भुगतान, जुर्माना आदि की रिपोर्ट सीधे ही केंद्रीय लेखा अनुभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर को उस तरीके से दैनिक आधार पर प्रस्तुत की जाए जिस प्रकार से पीपीएफ लेनदेनों की रिपोर्टिंग की जाती हो ताकि रिपोर्टिंग, मिलान और लेखांकन में एकरूपता लाई जा सके। एजेंसी बैंकों से अपेक्षित है कि वे इस योजना के नियमों व विनियमों का पालन करें और इनका पालन नहीं किए जाने के मामले में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके अंतर्गत शाखा या बैंक के प्राधिकार का रद्द किया जाना भी शामिल है। इन नियमों व विनियमों का पालन नहीं किए जाने के कारण पैदा होने वाली पूरी आर्थिक देयता बैंक को उठानी पड़ेगी। अतः सभी एजेंसी बैंक सुकन्या समृद्धि खातों संबंधी लेनदेनों की रिपोर्ट तत्काल प्रभाव से भेजने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय लेखा अनुभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर से संपर्क करें। इन अनुदेशों को सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाए। (आईडीएमडी (डीजीबीए) सीडीडी सं. 4052/ 15.02.006/ 2014-15, दिनांक 11 मार्च 2015)

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू के स्वामित्व और अन्य ब्योरों का विवरण

फार्म IV

1.	प्रकाशन का स्थान	:	मुंबई
2.	प्रकाशन की अवधि	:	मासिक
3.	संपादक, प्रकाशक और	:	अल्पना किल्लावाला
	मुद्रक का नाम, राष्ट्रीयता	:	भारतीय
	और पता	:	भारतीय रिज़र्व बैंक संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह मार्ग मुंबई - 400 001
4.	उन व्यक्तियों के नाम और पते जो पत्र के मालिक हैं	:	भारतीय रिज़र्व बैंक संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह मार्ग मुंबई - 400 001

मैं, अल्पना किल्लावाला, इसके द्वारा घोषणा करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी संपूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

(ह./-)

अल्पना किल्लावाला
प्रकाशक के हस्ताक्षर

दिनांक : 1 मार्च 2015

पेंशन की अधिभुगतान राशि का वापस किया जाना

मौजूदा अनुदेशों के अंतर्गत जब भी सरकारी पेंशन के अधिभुगतान का पता चलता है तो पूरी राशि यह मानकर सरकारी खाते में तत्काल वापस जमा करनी होती है कि एजेंसी बैंक की ओर से चूक हुई है। वहीं, यदि एजेंसी बैंक का यह विचार है कि पेंशनभोगी को अतिरिक्त/गलत राशि का भुगतान सरकार की तरफ से हुई गलती के कारण किया गया है तो वह मामले के त्वरित समाधान के लिए पूरे ब्योरे देते हुए सरकार के समक्ष मामला उठा सकता है। अन्य सभी मामलों में बैंक की तरफ से हुई गलती के कारण किए गए अधिभुगतान की राशि सरकारी खाते में एकमुश्त रूप में तत्काल वापस जमा की जानी चाहिए। (डीजीबीए.जीएडी.सं.एच 4054/45.03.001/2014-15, दिनांक 13 मार्च 2015)

विदेशी मुद्रा प्रबंध

अचल संपत्ति के अर्जन/अंतरण पर रोक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 मार्च 2015 को फेमा विनियमावली के संदर्भ में भारत में अचल संपत्ति के अर्जन/अंतरण हेतु प्रतिबंधित देशों की सूची में मकाओ और हांगकांग के नागरिकों को भी शामिल किया है। मकाओ और हांगकांग चीन के दो ऐसे विशेष प्रशासिनक क्षेत्र हैं, जिनकी अधिसूचना अलग से की गई है। मौजूदा विनियमावली के अंतर्गत पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, भूटान का कोई नागरिक भारत में रिज़र्व बैंक की अनुमति प्राप्त किए बिना किसी अचल संपत्ति का अर्जन या अंतरण नहीं कर सकता, जिसमें पांच वर्ष तक की अवधि के पट्टे का मामला शामिल नहीं है। (ए.पी.डीआईआर श्रृंखला परिपत्र सं.83, दिनांक 11 मार्च 2015)

ईसीबी नीति - सर्वसमावेशी लागत की उच्चतम सीमा

समीक्षा के उपरांत रिज़र्व बैंक ने 03 मार्च 2015 को श्रेणी-। के प्राधिकृत बैंकों (एडी श्रेणी-।) को सूचित किया कि पूर्व में बताए अनुसार बाह्य वाणिज्यिक उधार की सर्वसमावेशी लागत की उच्चतम सीमा 31 मार्च 2015 तक लागू होगी और उसके बाद उसकी समीक्षा की जाएगी। ईसीबी नीति के अन्य पहलुओं में कोई परिवर्तन नहीं है। (ए.पी.डीआईआर श्रृंखला परिपत्र सं.80, दिनांक 03 मार्च 2015)

भारत में आयात के लिए व्यापारिक उधार - समीक्षा

समीक्षा के बाद रिज़र्व बैंक ने 03 मार्च 2015 को श्रेणी-। के प्राधिकृत बैंकों (एडी श्रेणी-।) को सूचित किया कि पूर्व में बताए अनुसार भारत में आयातों के लिए दिए जाने वाले व्यापारिक उधारों की सर्वसमावेशी लागत की उच्चतम सीमा 31 मार्च 2015 तक लागू होगी और उसके बाद उसकी समीक्षा की जाएगी। व्यापारिक उधार नीति के अन्य सभी पहलुओं में कोई परिवर्तन नहीं है। (ए.पी.डीआईआर श्रृंखला परिपत्र सं.81, दिनांक 03 मार्च 2015)

अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां - स्टैट 5 और स्टैट 8 विवरणियों का बंद किया जाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 18 मार्च 2015 को मार्च 2015 से स्टैट 5 और स्टैट 8 विवरणियों के प्रस्तुतीकरण को बंद कर दिया है। तदनुसार विदेशी विनिमय से जुड़े बैंक सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को स्टैट 5 और स्टैट 8 (हार्ड और सॉफ्ट प्रति दोनों) भेजना बंद करें, क्योंकि बैंकों द्वारा एक्सबीआरएल प्लैटफार्म पर एनआरडी-सीएसआर आंकड़े के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया स्थिर हो गई है। (ए.पी.डीआईआर श्रृंखला परिपत्र सं.85, दिनांक 18 मार्च 2015)

रिपोर्ट

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों के मौजूदा दिशानिर्देशों पर विचार-विमर्श

रिज़र्व बैंक ने 02 मार्च 2015 को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले उधार से संबंधित मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा संबंधी आंतरिक कार्य समूह (अध्यक्ष : लिली वडेरा, मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग विनियमन विभाग) की रिपोर्ट जारी की।

उक्त रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों में निम्नलिखित मदें शामिल हैं :

i) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी समग्र लक्ष्य : सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए पुनः परिभाषित प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र का लक्ष्य समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर के समतुल्य ऋण (सीईओबीई) के 40 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के बराबर समान रूप से बरकरार रखा गया है। तथापि, सभी विदेशी बैंकों को, जिन्हें इन मानदंडों के अंतर्गत अब शामिल किया गया है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय दिया गया है।

ii) कृषि : एएनबीसी के 18 प्रतिशत के लक्ष्य को बरकरार रखा गया है। यह सिफारिश की गई है कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए एएनबीसी के 8 प्रतिशत के उप-लक्ष्य को चरणबद्ध तरीके से हासिल किया जाए। कृषि ऋण के समग्र लक्ष्य में शेष बचे 10 प्रतिशत को अन्य किसानों, कृषि की बुनियादी संरचना और उक्त समूह द्वारा परिभाषित सहायक कार्यकलापों को ऋण देने के लिए बैंकों को और लचीलापन दिया जाए। कृषि की बुनियादी संरचना एवं कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की दृष्टि से इनके लिए दिए जाने वाले ऋणों के लिए कोई उच्चतम सीमा नहीं है।

iii) एमएसएमई : सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा, मध्यम उद्यमों को भी प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार की परिधि में शामिल किया गया है। सूक्ष्म उद्यमों को क्राउड आउट की दुर्दशा से बचाने के लिए यह सिफारिश की गई है कि सूक्ष्म उद्यमों के लिए 7.5 प्रतिशत के उप-लक्ष्य निर्धारित किया जाए, जिसे चरणबद्ध तरीके से हासिल किया जाना है।

iv) अन्य क्षेत्र : इसके अलावा, स्वच्छता, स्वास्थ्य की देखभाल और पेय जल सुविधाओं तथा नवीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के दायरे में शामिल किया जाएगा। साथ ही, निर्यातों के लिए दिए जाने वाले वृद्धिशील ऋणों को कतिपय उच्चतम सीमाओं के साथ इसके दायरे में शामिल किया जाएगा।

v) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी प्रमाण-पत्र : उक्त कार्य समूह ने प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी प्रमाण-पत्रों (पीएसएलसी) की शुरुआत करने की सिफारिश की है, जिससे बैंक ऋण देने में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का लीवरेज करते हुए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बन सकते हैं।

रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के संबंध में सुझाव/टिप्पणी, यदि कोई हो, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय भवन, 10वीं मंजिल, एस.बी. मार्ग, मुंबई - 400001 को डाक/ई-मेल (cgmincfidd@rbi.org.in) के माध्यम से 15 मार्च 2015 तक भेजी जा सकती है।

पृष्ठभूमि

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी दिशानिर्देशों को मूर्त रूप दिए जाने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव आया। इन दिशानिर्देशों को संवृद्धि और समावेशन एजेंडा के अनुरूप तैयार करना ज़रूरी है। अतः रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों पर विचार करने तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ-साथ देश के वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों के अनुरूप इन दिशानिर्देशों में संशोधन करने के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से एक आंतरिक कार्य समूह का गठन किया। इस उद्देश्य के अंतर्गत प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र से संबंधित लक्ष्यों को कारगर ढंग से हासिल करने तथा प्राथिमकता-प्राप्त क्षेत्र से संबंधित लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल नहीं करने के मामले में आवश्यक उपाय सुझाना शामिल है।

उक्त कार्य समूह ने ऐसे खंडों को दिए जाने वाले उधार को सरणीबद्ध करने पर ध्यान केंद्रित किया है जिनके संबंध में कोई निर्धारित लक्ष्य न होने के कारण क्राउड आउट की स्थिति पैदा हो जाती है। इनके अंतर्गत छोटे एवं सीमांत किसान, सूक्ष्म उद्यम एवं कमज़ोर वर्ग शामिल हैं। साथ ही इसके दायरे को बढ़ाकर राष्ट्रीय प्राथिमकता की दृष्टि से अल्प सेवा-प्राप्त कई वर्गों को शामिल किया गया है, जैसे- कृषि की बुनियादी संरचना, सामाजिक बुनियादी संरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, निर्यात और मध्यम आकार के उद्यम।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित। **मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.rbi.org.in/MCIR पर भी उपलब्ध है।**